अपील सूचना अधिकार संख्या 90/2017 अनवानी अशोक कुमार पुत्र श्री रामजीदास जाति खत्री निवासी अपनी खुंजा, बाई पास रोड़, वार्ड न0 3, हनुमानगढ़ जंक्शन बनाम उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07–02–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री अशोक कुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर से प्राप्त प्रतिवेदन सं0 63 दिनांक 11.01.2018 शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री अशोक कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.01.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचनांए चाही थीः–

माह फरवरी 1952 में योल कैम्प कांगडा से लगभग 20 कश्मीरी परिवारों को ग्राम नानूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में बसाया था। इस संबध में निम्न जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करे।

1– उक्त परिवारों की सूचि।

2– भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सहायता/अनुदान की सूची अथवा विवरण।

3– चक 36 एनपी व 37 एनपी मे परिवारों को अस्थायी काश्त हेतु आंवटित कृषि भूमि का विवरण अथवा सूचि।

4–उक्त अस्थायी आवंटन को किस आदेश अथवा नियम से स्थायी किया गया।

5–राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एएए के अन्तर्गत खातेदारी का पात्र क्यों नही माना गया।

6– तहसील व जिला मुजफराबाद में उक्त परिवारों द्वारा अक्टूबर 1948 में छोडी सम्पति की सूची अथवा प्रमाणित अभिलेख।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या सूकाअ/17/63 दिनांक 11.01.2018 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 01.01.15 की प्रमाणित प्रति चाही गई है जो उनके कार्यालय में उपलब्ध नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.14 के सन्दर्भ में चाही गई सूचनांए प्रार्थी को तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक टीआरए/18/67 दिनांक 05.01.18 के द्वारा जरिये डाक भिजवाई जा चुकी है।

उपजिला कलक्टर, रायसिंहनगर के उक्त प्रतिवेदन के साथ प्राप्त तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर के पत्र सं0 68 दिनांक 05.01.2018 के अनुसार अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय में निवेदन है कि कार्यालय अभिलेख का अवलोकन करने पर योल कैम्प कांगडा से सम्बन्धित दाखिला रजिस्टर के अनुसार चक 36 एनपी व 37 एनपी में आंवटित भूमि व सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना निम्नानुसार है।

1–कार्यालय अभिलेख में दाखिला रजिस्टर के अतिरिक्त परिवारों की सूची अलग से संधारित नही है।

2–कार्यालय अभिलेख में भारत सरकार, जम्मू सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा दी सहायता/अनुदान की सूची सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नही है।

3–चक 36 एनपी व 37 एनपी में परिवारों का अस्थायी/स्थाई आंवटित कृषि भूमि सम्बन्धी दाखिला रजिस्टर में अंकित सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रेषित है।

4–उक्त आंवटित भूमि किश्तों पर आंवटित की गई थी। आंवटी द्वारा समस्त किश्तें जमा करवाने पर अलग–अलग प्रकरण में खातेदारी अधिकार दिये गये है।

5–इन प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी देने का नियमों में प्रावधान नही है।

6–कार्यालय अभिलेख में तहसील व जिला मुजफराबाद में उक्त परिवारों द्वारा अक्टूबर 1948 में छोडी गई सम्पति के सम्बन्ध में कोई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है।

इसके अतिरिक्त आप कार्यालय समय में उपस्थित आकर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर आपको आवश्यक अभिलेख की सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकते है।

तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दु संख्या 3 की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है व बिन्दु संख्या 4 व 5 का उत्तर दिया जा चुका। बिन्दु संख्या 1, 2 व 6 की सूचनाओं संबंधी रिकार्ड संधारित/उपलब्ध नही होने से सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 05.01.2018 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर व तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर उसमें से कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर व तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर